न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/74/2022 दायर दिनांक 18.11.2022

उनवान

1. सत्यनारायण पिता स्व. परमेश्वर जाति झंवर आयु वयस्क निवासी कपासन जरिये पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर भावेश पिता सत्यनारायण जाति झंवर निवासी कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

——प्रार्थी

बनाम

1. कृष्णगोपाल पिता स्व. देवीलाल जाति झंवर आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. जगदीश पिता स्व. देवीलाल जाति झंवर आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. रोशन पिता स्व. देवीलाल जाति झंवर आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4. कैलाश पिता स्व. देवीलाल जाति झंवर आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कपासन, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

——अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 :—

बाबत् अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः 06.07.2023

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा०टि0एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा कपासन तहसील कपासन में स्थित आराजी संख्या 2005 रकबा 0.41 है0, आराजी संख्या 5824 रकबा 0.38 है0 कुल किता 2 कुल क्षैत्रफल 0.79 है0 स्थित हैं जिसमें प्रार्थी का 1/4 हक हिस्सा है व शेष अप्रार्थीगण का है। इसी प्रकार मौजा कपासन के आराजी नम्बर 5717 रकबा 0.0850 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.0850 है0 स्थित है जिसमें 1/4 हिस्सा प्रार्थी का है तथा बकाया हिस्सा अप्रार्थीगणों का है।

यह कि आराजीयात संयुक्त है जिसका विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। यह कि पक्षकारान के मध्य मनमुटाव है अचल अन्य सम्पति का भी विवाद है जिसमें अप्रार्थीगण प्रार्थी से नाराज होकर व दावे की कॉलम संख्या में वर्णित आराजीयात विधिवत विभाजन कराये बिना अन्यत्र स्थानान्तरण करना चाहते है वह पक्षकारान के मध्य विवाद पैदा कर आराजीयात को खुर्द बुर्द करना चाह रहे है जिसमें अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक है।

यह कि प्रार्थी अब प्रार्थना पत्र में वर्णित कॉलम संख्या 2 में संयुक्त नहीं रखना चाहता है मिट्स एण्ड बाण्डस के आधार पर हिस्सा करा बंटवाडा कराना चाहता है उसी अनुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन कराना चाहता है।

यह कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को आपसी सहमति से बंटवाडा कराने हेतु कहा लेकिन तैयार नहीं हुए इसलिए प्रार्थी अपना हिस्सा अलग कराना चाहता है जिससे यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

अन्त में प्रार्थना की कि—

पक्ष प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण के अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश इस आशय का जारी फरमाया जावें कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या एक में वर्णित आराजीयात का अन्तिम विभाजन होने तक अप्रार्थीगण उक्त आराजीयात के किसी भी हिस्से को खुर्द बुर्द हस्तान्तरण नहीं करें न ही किसी से करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:47:37 IST
Reason: SelfAttested

हमनें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से रामलाल गुर्जर का अधिकार पत्र प्रस्तुत हुआ। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर सिधे बहस हेतु निवेदन किया। जिस पर दिनांक 06.04.2023 को जवाब बन्द कर सिधे बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 उपरोक्त वर्णित आराजीयात में सहखातेदार है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात का विधिवत बटवाडा नहीं हुआ है। जिससे अप्रार्थीगण आराजीयात को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें। वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। वकील प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का न्यायिक दृष्टान्त 2021(2) आर0आर0टी0 1325 ''चन्द्र कंवर बनाम गजेन्द्र सिंह व अन्य'' निर्णय दिनांक 27.07.2021 की छाया प्रति प्रस्तुत की।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का अवलोकन किया। दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र का अवलोकन किया। मनन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिये निम्न बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है।

प्रथम दृष्ट्या मामला– हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवंत् 2074–77 में मौजा कपासन तहसील कपासन में स्थित आराजी संख्या 2005 रकबा 0.41 है0, आराजी संख्या 5824 रकबा 0.38 है0 कुल किता 2 कुल क्षैत्रफल 0.79 है0 तथा मौजा कपासन के आराजी नम्बर 5717 रकबा 0.0850 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.0850 हैं में प्रार्थी 1/4 हक हिस्सा है, आराजीयात का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। व प्रार्थी को उपयोग उपभोग में विधिवत विभाजन नहीं होने तक प्रार्थी को उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक रूप से बनता है।

अपूरणीय क्षति– सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। जिसमें मौके पर वर्तमान में आदिनांक तक किसी प्रकार की क्षति होना जाहिर नही आया है। अतः अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होती है।

सुविधा का सन्तुलन– सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है जिसमें अप्रार्थीगण प्रार्थी को उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं अतः आंशिक रूप से सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है।

अतः प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का सन्तुलन आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होने से वकील प्रार्थी के निवेदन को अंतरिम रूप से आंशिक स्वीकार किया जाकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक मौजा कपासन तहसील कपासन में स्थित आराजी संख्या 2005 रकबा 0.41 है0, आराजी संख्या 5824 रकबा 0.38 है0 कुल किता 2 कुल क्षैत्रफल 0.79 है0 तथा मौजा कपासन के आराजी नम्बर 5717 रकबा 0.0850 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.0850 हैं मे अप्रार्थी संख्या 1 से 4 उक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द न करे और न ही प्रार्थी के उक्त आराजीयात के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी करे। अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:47:37 IST
Reason: SelfAttested